रजिस्टर्ड–ए.डी.

# राजस्थान–सरकार
## कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
## "कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(70)जन/2015/17762 दिनांकः 20/10/2016

25.10.16

**उप महानिरीक्षक,**
**पंजीयन एवं मुद्रांक,**
**वृत्त हनुमानगढ़।**

विषय : अपंजीकृत दस्तावेज के पंजीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांक 4561 दिनांक 01.08.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण के लिये कलक्टर मुद्रांक को प्रेषित अपंजीकृत दस्तावेजों के प्रकरणों का निर्धारण करने के पश्चात् कलक्टर मुद्रांक द्वारा कमी स्टाम्प ड्यूटी वसूल करकें, दस्तावेज पंजीयन हेतु संबंधित उप पंजीयक को भिजवाये जाते है। प्रश्नगत प्रकरण में अपंजीकृत मूल दस्तावेज लीजडीड उप पंजीयक, सूरतगढ़ को भिजवाने की बजाय संबंधित पक्षकार को दे दिया गया है। संबंधित पक्षकार द्वारा अनभिज्ञतावश उसका पंजीयन करवाने के लिये उप पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किया गया। अब मूल दस्तावेज उप पंजीयक, सूरतगढ़ को प्रस्तुत कर पंजीयन करने का निवेदन किया गया है। आप द्वारा इसका पंजीयन करने की अनुमति मांगी जा रही है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम/पंजीयन अधिनियमों में इस प्रकार की स्वीकृति जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुद्रांक प्रकरणों में अपंजीकृत दस्तावेज कलेक्टर मुद्रांक द्वारा उप पंजीयक को भिजवाने के पश्चात् नियमानुसार उनका पंजीयन आवश्यक है। प्रश्नगत प्रकरण में विभाग के स्तर से किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज की जॉच करते हुए पंजीयन की कार्यवाही की जा सकती है। उप पंजीयक/आपके स्तर पर विधिक प्रावधानों का अध्ययन किये बिना अनावश्यक प्रकरण को मुख्यालय भेजकर विलम्ब किया जा रहा है। अतः प्रश्नगत लीजडीड यथास्थिति पुनः लौटाकर लेख है कि दस्तावेज का तत्काल नियमानुसार पंजीयन करवाकर संबंधित पक्षकार को लौटाने की कार्यवाही करें।

भ व दी या,

**संलग्न** : उपरोक्तानुसार

**(रेणु जयपाल)**
**अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),**
**पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,**
**राजस्थान, अजमेर**